

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.3(10)आ.प्र.एवं सहा./स्था./82/6749-55

जयपुर, दिनांक 28/5/21

कार्यालय आदेश


श्री बाबूलाल मीणा, जमादार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 04.06.1962 है, का दिनांक 04.05.2021 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 04.05.2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 18.07.2017 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री बाबूलाल जमादार के विरुद्ध :-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 एवं 86 की विचाराधीन/लम्बित जांच को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.03.1998 की अनुपालना में विभागीय आदेश क्रमांक 6616 दिनांक 24.05.2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।


(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 3 पेंशन भुगतान अधिकारी/कोषाधिकारी, जयपुर।
- 4 प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 श्रीमती मीरा देवी मीणा पत्नी स्व. श्री बाबूलाल मीणा, मकान नं. 4576, सुरजपोल गलता रोड़ गोटा फैक्ट्री के सामने जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 6 लेखा शाखा (भुगतान)।
- 7 रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/


(कल्पनी अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव